

## नई वंदे भारत तथा अमृत भारत ट्रेनों को दिव्यांगजनों की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया गया

नई दिल्ली, (वीओ)। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि नई वंदे भारत तथा अमृत भारत ट्रेनों को दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को दिए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों के पहले और अंतिम डिब्बों में व्हीलचेयर की सुविधा, अधिक स्थान वाले दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय आदि विशेष प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों के पहले और अंतिम डिब्बों में आसानी से चढ़ने और उतरने के लिए मॉड्यूलर रैम की व्यवस्था भी की गई है तथा अमृत भारत ट्रेनों के लगेज सह दिव्यांगजन कोचों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वैष्णव ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसमें दिव्यांगजनों के लिए लगभग सभी मेलाएक्सप्रेस ट्रेनों में अलग से कोच आरक्षित किए गए हैं। इन डिब्बों में चौड़े दरवाजे,



रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा को संबोधित करते हुए।

चौड़ी बर्ध, बड़ा शौचालय, व्हीलचेयर के लिए अलग से स्थान, सहारे के लिए ग्रैब रेल, तथा उचित ऊंचाई पर बॉस बेसिन और शोशा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रेल मंत्री ने बताया कि दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि वाले संकेतक भी कोचों में लगाए गए हैं।

## डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं के नष्ट होने पर भारत मूकदर्शक नहीं रह सकता : कांग्रेस

नई दिल्ली, (वीओ)। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जैसी संस्थाओं में भारत का बहुत बड़ा हित है, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नष्ट कर रहे हैं और ऐसे में सरकार मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान विश्व व्यापार संगठन को बहुत भारी नुकसान पहुंचा था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'ट्रंप के

पहले कार्यकाल के दौरान डब्ल्यूटीओ को बहुत भारी झटका लगा था। इसे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया है। नियम-आधारित, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था समाप्त हो गई है, जबकि इसमें खुद अमेरिका ने तत्त्वकर्ता की

भूमिका निभाता था। कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिका का अब यह दृष्टिकोण है कि यदि बातचीत हो भी तो द्विपक्षीय रूप से, लेकिन अंततः निर्णय एकतरफा ही लिया जाए।

उन्होंने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय को सरकारी संरक्षण मिलेगा, लेकिन जनता का संरक्षण

## संस्कृत को भारत में घर-घर तक पहुंचाने, संचार का माध्यम बनाने की आवश्यकता : भागवत

नागपुर, (भाषा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और इसे संचार का माध्यम बनाने तथा घर-घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने संस्कृत के संरक्षण और प्रचार-प्रसार की वकालत की और कहा कि यह ऐसी भाषा है जो हमारी भावनाओं (भाव) को विकसित करती है। उन्होंने कहा कि सभी को इस प्राचीन भाषा को जानना चाहिए। नागपुर में कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय में एक भवन के उद्घाटन समारोह में भागवत ने कहा कि संस्कृत को समझने और उसमें संवाद करने की क्षमता रखने में अंतर होता है।

उन्होंने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय को सरकारी संरक्षण

मिलना भी जरूरी है। भागवत ने कहा कि संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जननी है और इसे आगे बढ़ाने के लिए लोगों को अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा, हमें अपने दैनिक संवाद में इस भाषा को बोलना सीखना होगा। यह दैनिक संवाद की भाषा बननी चाहिए। मैंने यह भाषा सीखी है, लेकिन मैं इसे थाराप्रवाह नहीं बोल पाता। संस्कृत को हर घर तक पहुंचाने की जरूरत है और इस भाषा में संवाद जरूरी है। भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने और स्वतंत्र प्रदर्शित करने के आवश्यकता पर सभी एकमत हैं, जिसके लिए हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान का विकास करना होगा।

## संवैधानिक संस्थाओं को बार-बार धमका रहे हैं राहुल गांधी : किरेन रिजजू

वीर अर्जुन संवाददाता नई दिल्ली/ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग को बार-बार निशाना बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजजू ने उन पर जबरदस्त प्रहार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

रिजजू ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं। यह लोकतंत्र को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। उनका यह रवैया और सोच बेहद खतरनाक है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष को हर घर तक पहुंचाने की जरूरत है और इस भाषा में संवाद जरूरी है। भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने और स्वतंत्र प्रदर्शित करने के आवश्यकता पर सभी एकमत हैं, जिसके लिए हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान का विकास करना होगा।

संस्थाओं की छवि को खराब करने में जुटा है। यह सीधे-सीधे लोकतंत्र पर हमला है। रिजजू ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी की शैली से विपक्ष के भीतर भी असहमति बढ़ रही है। उन्होंने कहा, अब तो विपक्षी दलों के नेता भी आंतरिक रूप से राहुल गांधी का विरोध करने लगे हैं। लोग यह कहने लगे हैं कि राहुल गांधी एक गंदी राजनीति खेल रहे हैं और देश की छवि को नष्ट करना चाहते हैं।

संसद में एसआईआर पर बहस की विपक्ष की मांग को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजजू ने स्पष्ट किया कि सरकार नियमों के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एसआईआर जैसे मामलों पर बहस नहीं हो सकती क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था

### तिनसुकिया मंडल में अभियांत्रिकी कार्य

निविदा सूचना संख्या : TSK/Engg/45 of 2025, दिनांक: 30-07-2025. निम्नलिखित कार्य के लिए ओपनबिडिंग द्वारा ई-निविदा आमंत्रित किया जाता है। आइटम नं. 1: आइटम का संक्षिप्त विवरण : तिनसुकिया मंडल में - सीमेंटरी डीप/ 11/ तिनसुकिया के अधिकार क्षेत्र में स्थित लेवल ब्राँडिंग फाउंडरी पर रेलवे अंडर ब्रिज के प्राथमिक के संबंध में किए जाने वाले अनुभवी कार्य। निविदा मूल्य : ₹5,51,62,992/-, अंतिम राशि : ₹4,25,800/-, निविदा के बंद करने की तिथि और समय 20-08-2025 को 15:00 बजे और खोलने की 16:00 बजे। उपरोक्त ई-निविदा के निविदा दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी वेबसाइट [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) पर दिनांक 20-08-2025 के 15:00 बजे तक उपलब्ध होगी।

डीएसआर (इन्फ्यू), तिनसुकिया

पूर्वांतर सीमा रेल

शांती की सेवा में मुस्कान के साथ

### वीर अर्जुन

#### वर्गीकृत विज्ञापन

#### Change of Name

I, hitherto known as Shakuntla D Rawal Alias Shakuntla Devi D/o Shanti Lal Munjal W/o Subhash Chander R/O B4/38C, LIG Flats, Phase-2, Ashok Vihar, North West Delhi, Delhi-110052 have changed my name and shall hereafter be known as Shakuntala Devi Rawal.

C-37131

It is for general for information that I, Asha W/o Surendra Kumar R/O 597, T-Block, Mangol Puri, Mangolpuri N Block, PO: Mangolpuri N Block, DIST: North West Delhi, Delhi-110083, declare that name of my husband has been wrongly written as Surender Kumar in my minor son namely Abhishek aged 17 years in his 10<sup>th</sup> educational document the actual name of my husband is Surendra Kumar.

C-57023

I, Ram Sagar Rai S/O Shri S.N. Rai R/O CP01, Amrapali Zodiac, Sector-120, NOIDA, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh does hereby declare that I have changed the name of my daughter Shomya Rai (Date of Birth 22.03.2010) from Shomya Rai To Saumya Rai for all future purpose.

C-38068

#### In The Court of

Sh. Manish Mittal, JSCC-cum-A S C J - cum - Guardian Judge, Court No. 209, Dwarka Court Complex, New Delhi.

#### Publication Notice

Defendants (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) MIS/380/2023

Uco Bank .....Petitioner Vs

Ragini Devi

.....Respondents

To,

1. Ragini Devi C/o Sh. Ravi Yadav At-H. No. 720, Gali No. 10, Malik Puri Koli Alias Rang Puri, Kapashera, South West Delhi-110037.

Also At: H. No. 763, Gali No. 10, Kapashera, South West, Delhi-110037.

2. Jitender Kumar S/o Sh. Rajguru Nath Dass At-Jhuggi No. 179, MS Block, Pili Kothi, H. No. 763, Gali No. 10, Kapashera, South West Delhi-110037.

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 28.08.2025 at 10.00 A.M. i.e. the day fixed in the matter, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this 23.07.2025.

Seal

JSCC-cum-ASCJ-cum-Guardian Judge, Dwarka Court Complex, New Delhi.

वैधानिक सूचना: पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन पर प्रकाशित किसी उल्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उल्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्पाद की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

**नीलामी सूचना**  
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत परद्वाना के दाब वाले तालाब की बोली 8 वर्षों के लिए मछली पालन हेतु पट्टे पर देने के लिए दिनांक 07/08/2025 को प्रातः 11 बजे ग्राम सचिवालय में सर आम करवाई जाएगी बोली की सिम्बोलीटी राशि ₹50000/- जमा करवानी होगी, बाकी शर्तें माके पर सुना दी जाएगी।

संजीत सिंह

सरपंच ग्राम पंचायत

परद्वाना, खंड इसराना

(पानीपत)

#### Proclamation Requiring Attendance of Defendant

(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure) In The Court of Sh. Isha Thakur, Civil Judge-03, South East, Court No. 11, Block-I, Saket Court Complex, New Delhi. CS SCJ/482/2025 State Bank of India .....Plaintiff Vs

Anita Das .....Defendant

Next Date: 25.08.2025

To, Anita Das Shop No. 1 A 53 A Block A Lower Ground Floor Amrit Puri Garhi East of Kailash Jaggi Bali Gali New Delhi-110065.

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 25.08.2025 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the Court, this 17.07.2025.

Seal

Civil Judge-03, South East, Saket Court Complex, New Delhi.

#### In The Court of

Sh. Gopal Singh Chauhan, District Judge-03, Room No. 314, 11/rd Floor, Tis Hazari Courts, Delhi.

#### Proclamation Requiring Attendance of Defendant

(Order 5, rules 20 of the Code of Civil Procedures) CIV DJ 707/2023

Harbans Kaur .....Plaintiff Vs

Devinder Jeet Singh

.....Defendant

To

Gurdeep Kaur D/o Late Sh. Harbhajan Singh Jas R/o A-31, Shyam Nagar, Near Mother Dairy, New Delhi.

Whereas you are intentionally evading service of summons, it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 08.09.2025 at 10 AM, the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the Court on 23.07.2025.

Seal

District Judge-03, Tis Hazari Courts, Delhi.

#### In The Court of

Shri Devender Kumar Jangala, District Judge-01, South West District, Room No. 615, Dwarka Courts, New Delhi.

#### Notice for Publication

(Order 5, Rule 20 of the CPC.) CS/DJ/JADJ/521/2023

Manish Bansal

.....Plaintiff

Karan Attrey

.....Defendant

To,

1. Sh. Karan Attrey S/O Sh. Vinod Sharma R/o W-2/1, DLF, Phase-3, Gurgaon, Haryana

2. Sh. Devansh Attrey S/O Sh. Vinod Sharma R/o W-2/1, DLF, Phase-3, Gurgaon, Haryana.

Whereas Plaintiff has instituted that above Suit for Recovery of Rs. 30,70,000/- against the defendants. You are hereby summoned to appear in this Court in person or by a pleader on the 19<sup>th</sup> day of August 2025, at 10:00 O' clock, to answer the same, failing which the Suit will be disposed of ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this 10<sup>th</sup> July 2025.

Seal

District Judge-01, South West District, Dwarka Courts, New Delhi.

**Proclamation Requiring Attendance of Defendant**  
(Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of Ms. Shelly Arora, Presiding Officer (MACT)-02, South-East District, Room No. 13, Saket Courts, New Delhi. Suit No. 439/22 and 767/22 Ratan Lal Pal .....Petitioner/s Vs

Dharambir

.....Respondent/s

To, Dharambir/LRs of Dharambir S/o Vishram, Village Rithoj Ps Sohna Gurugram.

Whereas (Petitioner) Ratan Lal Pal has presented the petition under the Motor Vehicles Act for grant of compensation on account of injuries/loss suffered in a motor vehicle accident, and whereas you are respondent No. 01 in the said case proceedings and whereas despite reasonable efforts and attempts for service, your presence could not be secured, as you are intentionally evading service of summons, it is hereby notified that the next date of hearing in the said proceedings is 22.09.2025. You are required to appear in the said proceedings in person, or through your representative, and in case of failure/default in appearance in the said proceedings on 22.09.2025, the matter be proceeded ex-parte against you.

Given under my hand and the seal of the Court, this 23.07.2025.

Seal

Sd/- Presiding Officer (MACT)-02, South-East District, Saket Courts, New Delhi.

#### In The Court of

Sh. Gopal Singh Chauhan, District Judge-03, Room No. 314, 11/rd Floor, Tis Hazari Courts, Delhi.

Whereas you are intentionally evading service of summons, it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 08.09.2025 at 10 AM, the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the Court on 23.07.2025.

Seal

District Judge-03, Tis Hazari Courts, Delhi.

#### In The Court of

Shri Devender Kumar Jangala, District Judge-01, South West District, Room No. 615, Dwarka Courts, New Delhi.

#### Notice for Publication

(Order 5, Rule 20 of the CPC.) CS/DJ/JADJ/521/2023

Manish Bansal

.....Plaintiff

Karan Attrey

.....Defendant

To,

1. Sh. Karan Attrey S/O Sh. Vinod Sharma R/o W-2/1, DLF, Phase-3, Gurgaon, Haryana

2. Sh. Devansh Attrey S/O Sh. Vinod Sharma R/o W-2/1, DLF, Phase-3, Gurgaon, Haryana.

Whereas Plaintiff has instituted that above Suit for Recovery of Rs. 30,70,000/- against the defendants. You are hereby summoned to appear in this Court in person or by a pleader on the 19<sup>th</sup> day of August 2025, at 10:00 O' clock, to answer the same, failing which the Suit will be disposed of ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this 10<sup>th</sup> July 2025.

Seal

District Judge-01, South West District, Dwarka Courts, New Delhi.

#### Proclamation Requiring Attendance of Defendant

(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure) In The Court of Sh. Ankit Mittal, Civil Judge-01 (South District), Room No. 09, Second Floor, New Court Building, Block-I, Saket Court Complex, New Delhi.

Suit No. CS SCJ/682/2024

Sharmistha Parmar

.....Plaintiff

Vs

12 Cure Private Limited & Others .....Defendant To,

12 Cure Private Limited Regd. Office-147 M.G. Road, New Mangolpuri, New Delhi, West Delhi-110030.

Also At: Corp. Office-629, Udyog Vihar Phase V, Udyog Vihar, Sector 19, Gurugram Haryana-122016

Also At: Kohinoor 1824, 25 Wazirabad Road, Wazirabad Sector 52, Wazirabad-122022.

Defendant No.1

Somenath Ghosh, Kohinoor 1824, 25, Wazirabad Road, Wazirabad.

Defendant No.2

Dhrishti Dadu, Chief Executive Officer (CEO) 12 Cure Pvt. Ltd., Kohinoor 1824, 25, Wazirabad Road, Wazirabad.

Defendant No.3

The Defendant Above Named

Whereas You are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 04.09.2025 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this 24.07.2025.

Seal

Civil Judge-01 (South District), New Court Building Block-I, Saket Court Complex, New Delhi.

#### In The Court of

Ms. Riya Guha, Judge Family Court-03, District Shahdara, Karkardooma Courts, Delhi.

#### Proclamation Requiring Attendance of Defendant

(Order 5 Rule 20 of the Code of Civil Procedure) MIS.DJ/32/2023

Bharat Sehgal

V/S

Jyoti Bhola

To,

Smt. Jyoti Bhola W/o Sh. Bharat Sehgal, D/o Sh. Mandan Lal Bhola, R/O G-29, Rama Park Road, Mohan Garden, Uttam Nagar, West, Delhi-110059.

Whereas you are intentionally evading services of summons. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the 30<sup>th</sup> day of August 2025 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this 10<sup>th</sup> day of August 2025.

Seal

Sd/- Judge Family Court-03, District Shahdara, Karkardooma, Delhi.

Whereas you are intentionally evading services of summons. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the 30<sup>th</sup> day of August 2025 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this 10<sup>th</sup> day of August 2025.

Seal

Sd/- Judge Family Court-03, District Shahdara, Karkardooma, Delhi.

#### In The Court of I Additional

Judge to I Civil Judge Class-I, District Court, Narmadapuram

Presiding Officer: सुश्री के. शिवानी

आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु (MJC/0000015/2018)

प्रदीप कुमार जैन

.....वादी

बनाम

चंद्रमान

.....प्रतिवादी

Process Id-/2021

पेशी दिनांक:- 08.09.2025

प्रेषिणी-

(1) चंद्रमान पिता कुंजीलाल भगोरिया पता- मकान नं. 23 गली नं. 14, बी ब्लॉक कौशिक एनक्लेव, बुराड़ी एक्सटेंशन, उत्तर दिल्ली

मो.-7011088291, 9971903035

यह कि प्रार्थी प्रदीप कुमार जैन ने आपके विरुद्ध आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सहप्रतिष्ठ धारा 151 सीपीसी के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के

